Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 41 /2021

Monika Devi ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.. Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा वाद सं0–06/2021–22 मे दिनांक–25.10.2021 को पारित आदेश एवं ज्ञापांक–1275, दिनांक–25.10.2021 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदिका उपस्थित। विपक्षी सं0–04, दिवाली देवी को सूचना निर्गत करने के बावजूद उपस्थित नहीं हुई, जिस कारण वाद पर एक पक्षीय सुनवाई हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम–भोटाथाना, वार्ड सं0–01 में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–312 पर सेविका चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में तीन अभ्यर्थियों ने आवेदन समर्पित किया। मेधा सूची के अनुसार क्रमांक–01 पर दिवाली देवी थी। लेकिन उनकी उम्र मतदाता सूची के अनुसार 40 वर्ष से अधिक पायी गई। मतदाता सूची 2020 के अनुसार दिवाली देवी के प्रथम पुत्री जयंती दास की उम्र 32 वर्ष पायी गई। दिवाली देवी शक्ति नाथ गणेश की पहली पत्नी है न कि दूसरी। दोनों संतान दिवाली देवी की ही है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोठिया एवं महिला पर्यवेक्षिका से मिली भगत कर मार्गदर्शिका के नियमों को ताक पर रखकर चयन कर लिया गया, जबकि विपक्षी सं0–04 दिवाली देवी का उम्र मानक उम्र से अधिक है। वोटर लिस्ट 1995 के अनुसार दिवाली देवी की उम्र 25 वर्ष थी। जिसकी वर्त्तमान में गणना करने से 51 वर्ष हो जाता है। इनका मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार उम्र 35 वर्ष है। प्रथम दृष्टया शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी प्रतीत होता है। आवेदिका मोनिका देवी पति–अरविंद कुमार गणेश उक्त मेधा सूची में द्वितीय स्थान पर रहकर मार्गदर्शिका 2019	

Web Copy. Not Official.

		के सभी कोरम को पुरा करती है। उक्त चयन के विरूद्ध आवेदिका द्वारा क्रमशः	
	लगातार 13.06.2023	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के न्यायालय में अपील वाद सं0–06/2021–22 दायर किया गया, जिसमें आदेश पारित करते हुए इनके अपील वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। दिनांक–08.07.2019 को आयोजित आम सभा में दिवाली देवी का किया गया चयन अवैध है। क्योंकि चयन के समय दिवाली देवी का उम्र 40 वर्ष था तथा मतदाता सूची 2016 के क्रमांक 30 पर अंकित दिवाली देवी का उम्र 46 वर्ष अंकित है। दिवाली देवी ने अपना उम्र छिपाने के लिए शक्ति नाथ गणेश की दूसरी पत्नी बताया है, जो सरासर गलत है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोठिया के वाद सं0–01/2020 में दिवाली देवी के उम्र की चिकित्सीय जॉँच असैनिक शल्य चिकित्सक, किशनगंज से करायी गई, जिनके पत्रांक–2819, दिनांक–16.08.2021 द्वारा वास्तविकता से परे गलत प्रमाण पत्र के आधार पर इनका चयन कर दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इनके द्वारा पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए उक्त केन्द्र पर सेविका पद पर बहाल करने का अनुरोध किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–706, दिनांक–25.04.2022 से प्रतिवेदित किया है कि दिनांक–08.07.2019 को सेविका चयन हेतु की गई आम सभा में दिवाली देवी का चयन किया गया। उक्त चयन के विरूद्ध परिवाद पर मार्गदर्शिका 2019 के कंडिका II के प्रावधान को नजर अंदाज करते हुए दो वर्ष के उपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोठिया के ज्ञापांक–374 दिनांक–31.08.2021 द्वारा वाद सं0–01/2020 श्रीमती दिवाली देवी की पुत्री जयन्ती दास (32 वर्ष) एवं पुत्र जितेन्द्र कुमार (24 वर्ष) को नजर अंदाज करते हुए सिर्फ शल्य चिकित्सक से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोठिया द्वारा दिवाली देवी के पत्र में निर्णय दे दिया गया। कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख/दस्तावेज के अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि परिवादी श्रीमती मोनिका देवी के परिवाद में उन्होंने दिवाली देवी को शक्तिनाथ गणेश की एकमात्र पत्नी बताया है। अपने	

Web Copy. Not Official.

		कथन के समर्थन में उन्होने साक्ष्य के रूप में उक्त वार्ड नं0–01 के वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों का लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया है जिसमें अंकित है कि श्रीमती दिवाली देवी शक्तिनाथ गणेश की एकमात्र पत्नी है क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 13.06.2023	एवं जयंती कुमारी (32 वर्ष) तथा जितेन्द्र कुमार (24 वर्ष) दिवाली देवी की ही संतान है। स्पष्ट प्रतीत होता है कि उम्र छुपाने हेतु दिवाली देवी को दूसरी पत्नी बताया गया है एवं जयंती कुमारी एवं जितेन्द्र कुमार को पहली पत्नी का संतान बताया गया है जो आधारहीन प्रतीत होता है। तैयार मेधा सूची के अनुसार कुल 04 अभ्यर्थियों में से दिवाली देवी प्रथम स्थान पर (मानक उम्र से अधिक उम्र होने का आरोप), दूसरे स्थान पर श्रीमती मोनिका देवी, तीसरे स्थान पर जयंती देवी एवं चौथे स्थान पर चमेली देवी है। उपरोक्त सभी तथ्यों को नजर अंदार करते हुए तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बिना समीक्षा/जाँच किये केवल बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोठिया द्वारा समर्पित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज के आयु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती दिवाली देवी के चयन को नियमानुकूल बताते हुए वाद सं0–06/2021–22 द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। सभी बिन्दुओं की समीक्षा कर चयन संबंधी विवाद पर पुनः विचार किया जा सकता है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि विपक्षी दिवाली देवी का संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका के पद पर चयन मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने, चयन हेतु न्यूनतम/अधिकतम आयु का मूल आधार मैट्रिक के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि साथ ही असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा निर्गत वास्तविक आयु प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। आवेदिका द्वारा दिवाली देवी के उम्र पर की गई आपत्ति के पक्ष में मानक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें।	

Web Copy. Not Official.

		लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.